न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 257/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/415

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1.श्रवणसिंह पुत्र मसराजी 2.भेरूसिंह पुत्र मसराजी 3.आमसिंह पुत्र मसराजी जाति पुरोहित निवासी सराणा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री विक्रमसिंह सोढा,अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 18.03.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सराणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 90 क्षेत्रफल 11.0155 हैक्टयर,खसरा संख्या 103 क्षेत्रफल 13.0147 हैक्टयर,खसरा संख्या 134 क्षेत्रफल 18.0328 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 529/833 व 530 कुल क्षेत्रफल 11.3474 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता मसराजी का धरेलू बोलचाल भाषा में मिश्राराम अशुद्व नाम रेकर्ड में इन्द्राज हो रखा हैं,जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम मसराजी है। लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में दायर प्रविष्टि वल्दियत मिश्राराम के स्थान पर मसराजी दुरूस्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.05.21 19:10:11 IST
Reason: SelfAttested

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ग्राम सराणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 90 क्षेत्रफल

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

11.0155 हैक्टयर,खसरा संख्या 103 क्षेत्रफल 13.0147 हैक्टयर,खसरा संख्या 134 क्षेत्रफल 18.0328 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 529/833 व 530 कुल क्षेत्रफल 11.3474 हैक्टयर खातेदारी भूमि अवस्थित है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मसराजी के स्थान धरेलू बोलचाल भाषा में मिश्राराम रेकर्ड में अशुद्व इन्द्राज हो रखा है,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का वास्तविक मसराजी दर्ज है,लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मसराजी के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता का अशद्व नाम मिश्राराम के स्थान पर मसराजी दुरूस्त किए जाने के आदेश फरमायें जावें।

5.**हमनें** वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सराणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 90 क्षेत्रफल 11.0155 हैक्टयर,खसरा संख्या 103 क्षेत्रफल 13.0147 हैक्टयर,खसरा संख्या 134 क्षेत्रफल 18.0328 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 529/833 व 530 कुल क्षेत्रफल 11.3474 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में अवस्थित है। विवादित भूमि में प्रार्थी अपने पिता का नाम मिश्राराम के स्थान पर मसराजी नाम दुरूस्ती करवाना चाहतें है। प्रार्थी श्रवणसिंह व भैरूसिंह द्वारा सशपथ–पत्र पेश किए गए कि हमारे पिता का सही नाम मसराजी है,इसके समर्थन में अन्य सरकारी दस्तावेजात यथा–आधारकार्ड,परिवार राशन कार्ड, बैक पासबुक प्रति,श्रवणसिंह का जन्म प्रमाण,भेरूसिंह का ड्राईविग लाईसेन्स व भेरूसिंह की बैक पासबुक डायरी छायाप्रति में प्रार्थीगण के पिता का नाम मसराजी अंकन है,इससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम विवादित भूमि में अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखा है। इस प्रकार प्रार्थी अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि में अपनें पिता का अशुद्व नाम मिश्राराम के स्थान पर मसराजी दुरूस्त करवानें कें हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

–:आदेश:–

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:10:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं स्वीकार होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सराणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 90 क्षेत्रफल 11.0155 हैक्टयर,खसरा संख्या 103 क्षेत्रफल 13.0147 हैक्टयर,खसरा संख्या 134 क्षेत्रफल 18.0328 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 529/833 व 530 कुल क्षेत्रफल 11.3474 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में प्रार्थीगण के पिता का अशुद्व नाम मिश्राराम के स्थान पर सही नाम मसराजी दुरूस्त

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

किए जाने के आदेश दिए जाते है,शेष बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 18/3/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड * बालोतरा * (S.D.O.)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:10:11 IST
Reason: SelfAttested